न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी–विनय पाठक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 05/2017 अपील

दायर दिनांक–17.03.2017
निर्णय दिनांक–28.03.2018

श्री कालु पिता तजीया मीणा निवासी खानन तहसील साबला जिला डूंगरपुर
.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य बजरिए भूमिधारी तहसीलदार साबला जिला डूंगरपुर (राजस्थान)
.....रेस्पोन्डेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956 बनाराजगी निर्णय तहसीलदार
साबला प्रकरण सं0 345/16 निर्णय
दिनांक 07.10.2016 श्री सरकार बनाम कालु

उपस्थित

1. श्री लक्ष्मणसिंह बियोला अभिभाषक वास्ते अपीलान्ट
2. राजकीय पेरोकार उप तहसीलदार डूंगरपुर वास्ते रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय

इस प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा मौजा खानन के आराजी नंबर 1410 मे से 1.00 बीघा चरनोट भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने से एवं उक्त भूमि नियमन के श्रेणी मे नही आने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अपीलान्ट को उक्त भूमि पर अतिक्रमी घोषित करते हुए वार्षिक लगान रूपया 0.55/– का पचास गुना रूपया 28.00/–शास्ति स्वरूप आरोपित करने, उक्त भूमि पर से बेदखल करने, से अतिचार पश्चात्वर्ती की श्रेणी मे आने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 (2) के तहत अतिक्रमी/अपीलान्ट को दो माह के सिविल कारावास की सजा भूगतने का भी आदेश दिनांक 07.10.2016 को पारित करने से अपीलान्ट ने उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील पेश की है।

प्रकरण इस न्यायालय मे पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही हेतु तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। राजकीय पेरोकार ने इस न्यायालय मे उपस्थित होकर अपनी आरे से जवाब पेश करते हुए बताया कि अपीलान्ट द्वारा चारागाह भूमि पर कब्जा करना प्रमाणित होने से उसके विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही करते हुए तथा उक्त भूमि नियमन की श्रेणी मे नही आने से एवं अपीलान्ट को विधि सम्मत सुना जाकर राज्यहित मे निर्णय पारित कर न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर दो माह की सजा सुनाई गयी है। ऐसी स्थिति मे न्यायालय तहसीलदार साबला द्वारा अपीलान्ट को जो सजा सुनाई गयी है वह न्यायसंगत होकर उचित है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस उभय पक्षों की समायत की गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपनी ओर से बताया है कि अपीलान्ट ने मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया है एक बीघा भूमि पर गावं के मवेशी चरते

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्व गलत रिपोर्ट पेश की गयी है। अपीलान्ट की पुश्तेनी खातेदारी की भूमि के तथा चरनोट भूमि के बीच मे मवेशियान द्वारा खेतों मे बोई गयी फसलो को नुकसान पहुंचाने से उसको रोकने के लिये अस्थाई रूप से अपीलान्ट ने बाडा बाउण्ड्री बनाई गई है उसी आधार पर पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण दर्ज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि की पैनाल्टी की राशि भी जमा कराता आ रहा है। अपीलान्ट का उक्त चरनोट भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई आशय नही रहा है। अपीलान्ट गरीब मजदूरी करने वाला ग्रामीण कम पढा लिखा व्यक्ति है। मजदूरी करके परिवार चलाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विषय वस्तु को बिना गौर किये निर्णय पारित करने मे भारी भूल की है। अतः तहसीलदार साबला के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2016 की क्रियान्विति को रोकना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट की स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2016 को निरस्त करने का आदेश पारित किया जावें।

राजकीय पेरोकार ने दौराने बहस मे अपनी ओर से बताया कि अपीलान्ट द्वारा चारागाह भूमि पर कब्जा करना प्रमाणित होने से उसके विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही करते हुए तथा उक्त भूमि नियमन की श्रेणी मे नही आने से एवं अपीलान्ट को विधि सम्मत सुना जाकर राज्यहित मे निर्णय पारित कर न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर दो माह की सजा सुनाई गयी है। ऐसी स्थिति मे न्यायालय तहसीलदार साबला द्वारा अपीलान्ट को जो सजा सुनाई गयी है वह न्यायसंगत होकर उचित है।

अतः अपीलान्ट की अपील को खारीज करते हुए तहसीलदार साबला के द्वारा प्रकरण संख्या 345/2016 मे पारित आदेश दिनांक 07.10.2016 को यथावत रखने का आदेश पारित किया जावे।

इस न्यायालय की एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर एवं उभय पक्षों की ओर से बहस मे दी गयी दलीलों पर गौर से मनन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलान्ट के द्वारा मौजा खानन के आराजी नंबर 1410 मे से 1.00 बीघा चरनोट भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने से पटवारी हल्का खानन से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को विधिवत रूप से सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह न्यायोचित है क्योंकि चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करना नियमों के विपरित है अपीलान्ट द्वारा किया गया अतिचार पश्चात्वर्ती की श्रेणी मे आने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 (2) के तहत सिविल करावास की सजा भूगतने का आदेश दिया गया है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की अपील काबिले खारिज है।

अतः अपीलान्ट की अपील को खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साबला के द्वारा प्रकरण संख्या 345/2016 मे पारित आदेश दिनांक 07.10.2016 को यथावत रखने का आदेश दिये जाते है। निर्णयानुसार पालना करने हेतु तहसीलदार साबला को निर्णय की प्रति भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल मे शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

(विनय पाठक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर